UPLK010103632024

न्यायालय विशेष न्यायाधीश, एस0सी0–एस0टी0 ऐक्ट, लखनऊ ।

सत्र वाद सं0 1672/2024

सरकार बनाम चन्द्र पाल सिहं

अ0सं0 179/2024
धारा–352,354,504,506,170 भा0द0सं0 तथा
धारा 3(1)द, ध, 3(2)5ए एस0सी0–एस0टी0 ऐक्ट
एवं धारा–30 आयुध अधिनियम,
थाना–वजीरगंज, लखनऊ।

25–11–2024

मुकदमा पुकारा गया। अभियुक्त चन्द्र पाल सिंह जेरे हिरासत उपस्थित है।

न्यायालय के समक्ष विद्वान विशेष लोक अभियोजक ने संक्षेप में उस साक्ष्य का कथन किया, जो दौरान विचारण अभियुक्त के विरुद्ध प्रस्तुत किया जाना है।

अभियोजन एवं अभियुक्त के अधिवक्ता को सुनने तथा पत्रावली पर उपलब्ध सामग्री के अवलोकन के उपरान्त मैं इस मत का हूॅ कि अभियुक्त के विरुद्ध धारा 352, 354, 504, 506, 170 भा0द0सं0 तथा धारा 3(1)द, ध, 3(2)5ए एस0सी0–एस0टी0 ऐक्ट एवं धारा 30 आयुध अधिनिमय के अधीन आरोप विरचित किये जाने के आधार पर्याप्त हैं। तद्नुसार अभियुक्त के विरुद्ध आरोप विरचित किये गये। अभियुक्त ने आरोपों से इन्कार किया और विचारण की याचना की।

पत्रावली तदैव साक्ष्य अभियोजन हेतु दिनांक 07.12.2024 को पेश हो।

विशेष न्यायाधीश (एस0सी0–एस0टी0 ऐक्ट),
लखनऊ।

UPLK010103632024

न्यायालय विशेष न्यायाधीश, एस0सी0–एस0टी0 ऐक्ट, लखनऊ ।

सत्र वाद सं0 1672/2024

सरकार बनाम चन्द्र पाल सिहं

अ0सं0 179/2024

धारा–352,354,504,506,170 भा0द0सं0 तथा
धारा 3(1)द, ध, 3(2)5ए एस0सी0–एस0टी0 ऐक्ट
एवं धारा–30 आयुध अधिनियम,
थाना–वजीरगंज, लखनऊ।

आरोप

मैं, दिनेश कुमार मिश्र, विशेष न्यायाधीश (एस0सी0–एस0टी0 ऐक्ट), लखनऊ एतद्द्वारा आप अभियुक्त चन्द्र पाल सिंह (सी0पी0 सिंह) को निम्नलिखित आरोपों से आरोपित करता हूॅः–

प्रथमः यह कि दिनांक 31.05.2023 समय 02.00 बजे दिन थाना वजीरगंज, जिला लखनऊ सीमान्तर्गत हाईकोर्ट चौकी के पास में आप अभियुक्त चन्द्र पाल सिंह (सी0पी0 सिंह) द्वारा वादिनी मुकदमा पुष्पा अनिल पर आपराधिक बल का प्रयोग किया। इस प्रकार आपने ऐसा अपराध किया, जो भारतीय दण्ड संहिता की धारा 352 के अधीन दण्डनीय है और मेरे प्रसंज्ञान में है।

द्वितीयःयह कि उपरोक्त तिथि, समय व स्थान पर आप अभियुक्त चन्द्र पाल सिंह (सी0पी0 सिंह) द्वारा वादिनी मुकदमा पुष्पा अनिल के साथ छेड़छाड़ व अश्लील हरकतें किया। इस प्रकार आपने ऐसा अपराध कारित किया जो भा0द0सं0 की धारा–354 के अधीन दण्डनीय है और इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

तृतीयः यह कि उपरोक्त दिनांक, समय एवं स्थान पर आप अभियुक्त चन्द्र पाल सिंह (सी0पी0 सिंह) द्वारा वादिनी मुकदमा पुष्पा अनिल को भद्दी–भद्दी गालियां देकर साशय प्रकोपित किया कि वह लोकशान्ति भंग करें। इस प्रकार आप लोगों ने एक ऐसा अपराध किया, जो भारतीय दण्ड संहिता की धारा 504 के अधीन दण्डनीय है और मेरे प्रसंज्ञान में है।

चतुर्थ :यह कि उपरोक्त दिनांक, समय एवं स्थान पर आप अभियुक्त चन्द्र पाल सिंह (सी0पी0 सिंह) द्वारा वादिनी मुकदमा पुष्पा अनिल को जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया। इस प्रकार आपने एक ऐसा अपराध किया, जो भारतीय दण्ड संहिता की धारा 506 के अधीन दण्डनीय है और मेरे प्रसंज्ञान में है।

पंचमःयह कि उपरोक्त दिनांक, समय एवं स्थान पर आप अभियुक्त चन्द्र पाल सिंह (सी0पी0 सिंह) द्वारा स्वयं को रेल दावा अधिकरण लखनऊ पीठ का जज बताकर अनाधिकृत रूप से अपनी गाड़ी व लाइसेंसी पिस्टल के साथ न्यायालय परिसर में प्रवेश किया। इस प्रकार आपने एक ऐसा अपराध किया, जो भारतीय दण्ड संहिता की धारा 170 के अधीन दण्डनीय है और मेरे प्रसंज्ञान में है।

षष्टमः यह कि उपरोक्त तिथि, समय व स्थान पर आप अभियुक्त चन्द्र पाल सिंह (सी0पी0 सिंह) द्वारा वादिनी मुकदमा पुष्पा अनिल को अनुसूचित जाति की सदस्या जानते हुए लोकदृष्टि में आने वाले स्थान पर अपमानित किया। इस प्रकार आप लोगों ने एक ऐसा अपराध किया, जो अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण)अधि0 की धारा–3(1)द के अधीन दंडनीय है और मेरे प्रसंज्ञान में है।

सप्तमःयह कि उपरोक्त दिनांक, समय एवं स्थान पर आप अभियुक्त चन्द्र पाल सिंह (सी0पी0 सिंह) द्वारा वादिनी मुकदमा पुष्पा अनिल को अनुसूचित जाति की सदस्या जानते हुए जाति के नाम से गालियां दी। इस प्रकार आप लोगों ने एक ऐसा अपराध किया, जो अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण)अधि0 की धारा–3(1)ध के अधीन दंडनीय है और मेरे प्रसंज्ञान में है।

अष्टमःयह कि उपरोक्त तिथि, समय व स्थान पर आप अभियुक्त चन्द्र पाल सिंह (सी0पी0 सिंह) द्वारा वादिनी मुकदमा पुष्पा अनिल के प्रति उपरोक्त आपराधिक कृत्य कारित किया। इस प्रकार आप ने एक ऐसा अपराध किया, जो अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम धारा–3(2)va के अधीन दण्डनीय है और मेरे प्रसंज्ञान में है।

नवमःयह कि उपरोक्त तिथि, समय व स्थान पर आप अभियुक्त चन्द्र पाल सिंह (सी0पी0 सिंह) द्वारा अपनी लाइसेंसी पिस्टल सार्वजनिक स्थान पर लहराया। इस प्रकार आप ने एक ऐसा अपराध किया, जो आयुध अधिनियम धारा–30 के अधीन दण्डनीय है और मेरे प्रसंज्ञान में है।

एतद्द्वारा आप को निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त आरोप हेतु आप का विचारण इस न्यायालय द्वारा किया जायेगा।

(दिनेश कुमार मिश्र)
दिनांकः 25–11–2024 विशेष न्यायाधीश एस0सी0–एस0टी0 ऐक्ट,
लखनऊ।
जेओ कोड–यूपी06085

अभियुक्त को आरोप पढ़कर सुनाया व समझाया गया जिससे अभियुक्त ने इन्कार किया तथा विचारण की याचना की।

(दिनेश कुमार मिश्र)
दिनांकः 25–11–2024 विशेष न्यायाधीश एस0सी0–एस0टी0 ऐक्ट,
लखनऊ।
जेओ कोड–यूपी06085